

## अध्याय-5

अपने द्वारा रखे गये या उसके नियंत्रक के अधीन या उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके कर्मचारीयों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश नियमावलियां, और अभिलेख

प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश नियमावलियां, और अभिलेख एक नजर में :-

1. The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974
2. The Jaipur Development Authority, 1982
3. जयपुर विकास प्राधिकरण (सदस्यों को भत्ते का संदाय) विनियम, 1983
4. जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी आचरण विनियम, 1983
5. जयपुर विकास प्राधिकरण (योजनाओं की तैयारी और मंजूरी) विनियम, 1983
6. जयपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 1983
7. जविप्रा (कार्य समितियां, कृत्य कार्य बोर्ड तथा समितियों का कार्य संचालन) विनियम, 1983
8. जयपुर विकास प्राधिकरण (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1984
9. जविप्रा चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 1984
10. जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की सामान्य शर्तें) विनियम, 1984
11. The J.D.A (Custody and Disposal of Seized Articles) Regulations, 1988
12. जयपुर विकास प्राधिकरण (भवन अनियमित निर्माण नियमबद्धता/नियमितिकरण) विनियम, 1989
13. जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी पेंशन सेवा (पेंशन) विनियम, 1990
14. जयपुर विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष के अधिकार निर्धारण) विनियम, 2000
15. जयपुर विकास प्राधिकरण (उच्च मार्ग नियंत्रण) विनियम, 2001
16. जयपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2001
17. The J.D.A. (General Terms & Condition of Transfer of Officers & Employees) Rules, 2009
18. जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010

उक्त समस्त नियम, विनियम, अनुदेश नियमावलियां, और अभिलेखों में समय समय पर होने वाले बदलावों से संबंधित आदेश, परिपत्र इत्यादि भी जविप्रा की वेबसाईट पर अद्यतन किया जाता है जिन्हे [www.jda.urban.raajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.raajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।